

भाग-3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

जनपद मथुरा में मथुरा-वृन्दावन मार्ग (एम0डी0आर0-123) कि0मी0-5 (चैनेज-4.246) ग्राम अहिल्यागंज बॉगर के प्लाट संख्या-183/100/5 पर भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मथुरा द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (डीजल/पैट्रोल पम्प) के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.040988 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

Proposal No. -35033/2018

14.	स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है, क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं)। यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रक्षेणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं
15.	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं।	सहमत
16.	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत प्रकरणों के साथ विशेष सिफारिशें -	प्रस्ताव जनहित में है। अतः भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

दिनांक :

स्थान : आगरा।

Plsht
(जावेद अख्तर) 27/12/18 .

वन संरक्षक, **वन संरक्षक**
आगरा वृत्त, आगरा।